

2025/511

क्रमांक /LAC/264/दिनांक 24/3/25

सेवा में,

ग्रामीण सेवा शिबिर अभियान-2025

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

बेगुं (राज.)

विषय: अधिसूचना अनुसार बैंक का नाम परिवर्तित किया जाने संबंध।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय के क्रम में निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 07-04-2025 को जारी असाधारण राजस्व अधिसूचना संख्या CG-DL-E-07042025-262329 के अनुसार राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक का समामेलन स्वीकृत कर एकीकृत संस्था का नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक होगा। अधिसूचना के अनुसार मैं प्राप्ति 25/03/25 दिनांक 25/03/25 के नाम परदार मण्डल 211/1/राज. उत्प्रेषण में वर्तमान स्टेशन जम्बकन्दी के खाल संख्या 76, 10 पर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक भूमि रजम दर्ज रेकॉर्ड है, जिसमें अधिसूचना अनुसार राजस्थान ग्रामीण बैंक दर्ज करवाने की कृपा करावे।

25-03
दिनांक / 2025

हस्ताक्षर प्रभारी

रिपोर्ट परदार हल्का 211/1/राज. तहसील-बेगुं (राज.)

महोदयजी,

भारत सरकार द्वारा दिनांक 07-04-2025 को जारी असाधारण राजस्व अधिसूचना संख्या CG-DL-E-07042025-262329 के अनुसार राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक का समामेलन स्वीकृत कर एकीकृत संस्था का नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक से प्रस्तावित संशोधन किया जाना उचित है।

श्री.अमितेज निरीक्षक 26/3/25

परदारी परदार हल्का 211/1/राज.

कार्यालय तहसीलदार बेगुं, जिला-पिलीगढ़ (राज.)

क्रमांक राजस्व/2025/.....

दिनांक / /2025

मूल ही प्रार्थना पर श्रीमान् शिबिर प्रभारी महोदय को पत्रित कर निवेदन है कि रिपोर्ट परदारी एवं श्री.अमितेज निरीक्षक अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक के बजाय राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है।

तहसीलदार बेगुं, जिला-पिलीगढ़ (राज.)
पैगुं, जिला-पिलीगढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बेगुं (राज.)

क्रमांक राजस्व/2025/ 664

दिनांक 24/3/2025

इस रिपोर्ट तहसीलदार बेगुं के राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन की स्वीकृति दी जाती है। परदारी हल्का 211/1/राज. राजस्व रेकॉर्ड में उक्त संशोधन की कार्यवाही कर पालन रिपोर्ट प्रस्तुत की।

उपखण्ड अधिकारी एवं
अध्यापक शिबिर प्रभारी
बेगुं, जिला-पिलीगढ़ (राज.)

प. ह. रायदा